

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 1490 / 12-1 , दिनांक, पौड़ी, दिसम्बर, 17 2021.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपकी पत्र सं0 1801/12-1 दिनांक 04.12.2021

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग की हार्ड कापी दिनांक 04.12.2021 को तथा ऑनलाईन दिनांक 07.12.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई का ऑनलाईन एवं ऑफलाईन परीक्षण करने पर निम्न तथ्य विचारणीय पाये गये-

1. प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग का Authority Letter संलग्न नहीं किया गया है।
2. प्रपत्र 2 परिशिष्ट में स्थान एवं दिनांक अंकित नहीं की गई है।
3. प्रपत्र 4 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है।
4. प्रपत्र 8 (वैकल्पिक सरेखण को निरस्त किये जाने वाला प्रमाण पत्र) संलग्न नहीं किया गया है एवं प्रपत्र 9 (विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण) सही नहीं है।

अतः आप उपरोक्त कमियों का निराकरण कर इस कार्यालय को सूचित करें जिससे प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 1490 / 12-1

दिनांकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 धुमाकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

//Jaideep//

012